"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102-ब] रायपुर, शनिवार दिनांक 28 अप्रैल 2012—वैशाख 8, शक 1934

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2012

क्रमांक एफ 66/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/425.—दिनांक 28 अप्रैल 2012 को नगर पंचायत पुसौर, जिला-रायगढ़ छ.ग. के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

एस. आर. बांधे,
उप-सचिव.

प्रकरण क्रमांक एफ-66/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010

कु. हरिप्रिया पटेल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पंचायत, पुसौर, जिला-रायगढ़ छ.ग.

आदेश

(छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 28 अप्रैल 2012

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 9 मार्च 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत पुसौर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2009 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 4 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 9 मार्च 2010 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगर पंचायत पुसौर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाली अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल को दिनांक 22 मार्च 2010 को कारण बताओ सूचना जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. उक्त कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने के पश्चात् उसके द्वारा अपना जवाब डाक से दिनांक 19 अप्रैल 2010 को आयोग को प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि प्रथम बार चुनाव में अभ्यर्थी होने के कारण अनुभव की कमी एवं उचित मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर पाई जिसके लिए उनके द्वारा क्षमा चाही गई. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ का अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ ने पत्र क्रमांक 326 दिनांक 5 अगस्त 2011 के द्वारा अभिमत दिया कि कु. हरिप्रिया पटेल द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा जमा नहीं कराया गया है. अभ्यर्थी ने अपने जवाब दिनांक 10 नवम्बर 2011 जो आयोग में दिनांक 21 नवम्बर 2011 को प्राप्त हुआ, में उल्लेख किया कि वह निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ के पास पूर्व में ही जमा करा चुकी है. अभ्यर्थी के पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2011 पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के पत्र क्रमांक 06/स्था.नि./न.पा./व्यय लेखा/2012, दिनांक 18 जनवरी 2012 द्वारा सूचित किया गया कि अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल ने निर्वाचन व्यय लेखा न तो समयावधि में और न ही समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किया है. इस पर अभ्यर्थी को आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आयोग के सूचना पत्र दिनांक 24 अक्टूबर 2011 द्वारा दिनांक 24 नवम्बर 2011 को सुनवाई हेतु आहुत किया गया. अभ्यर्थी को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर आयोग का सूचना पत्र दिनांक 26 मार्च 2012 जारी कर दिनांक 25 अप्रैल 2012 को आयोग कार्यालय में आहुत किया गया. उक्त सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 10 अप्रैल 2012 को तामील की गई. अभ्यर्थी सूचना उपरान्त सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि 25 अप्रैल 2012 को अनुपस्थित रहीं. ऐसी स्थिति में यह माना जाकर कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है; उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का परिशीलन किया गया, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल ने निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 32-क(1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) निम्नुनसार है :—

"धारा 32-क. (1) अध्यक्ष के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा—प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 32-क (1) की अपेक्षानुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 32-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**—अध्यक्ष के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत पुसौर के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाली अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से न तो दाखिल किया और न ही आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आहुत किये जाने पर निर्धारित दिनांक को उपस्थित हुई. उन्होंने अपने जवाब दिनांक 19 अप्रैल 2010 में निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि के अन्दर जमा नहीं करना स्वीकार किया है. यद्यपि उन्होंने अपने जवाब दिनांक 10 नवम्बर 2011 में दर्शाया है कि उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा पूर्व में जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ के पास जमा कर दिया गया है, लेकिन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), रायगढ़ ने अपने ज्ञापन क्रमांक 06/स्था.नि./न.पा./व्यय लेखा/2012, दिनांक 18 जनवरी 2012 के द्वारा यह सूचित किया है कि नगर पंचायत पुसौर की अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल ने प्रश्नाधीन निर्वाचन व्यय लेखा न तो समयावधि के अन्दर प्रस्तुत किया है और न ही समयावधि के पश्चात् कार्यालय में प्रस्तुत किया है. अतः मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रही हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखती हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी कु. हरिप्रिया पटेल को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिये नगर पंचायत का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 28 अप्रैल 2012 को जारी किया गया.

हस्ता./-

(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.